





फॉर्म अहकाम
(नियम 20)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुफाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर
कमलेश बनाम फानाराम

किस्म मुकदमा- धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0

नम्बर- 47 वर्ष:-2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही गम इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
14.08.2024	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री विमल किशोर तियाड़ी ने अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक- 23.10.2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
23-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11-12-24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
11-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-2-25 को पेश हो।	
19-2-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-4-25 को पेश हो।	
2-4-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-6-25 को पेश हो।	
18-6-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक को पेश हो। पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 22-8-24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	

मु. नं. ५३/२५ कम्पेसा/का. नं. ५३

२२-८-२५ पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड के वकील उपा.
तलवी जारी होकर पत्रावली दि. ०३-१०-२५
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कम्पेसा (अजमेर)

बार एसो. रजि. नं.
३१-१०-२५ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपा.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
६-११-२५ को पेश हो।

६-११-२५ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील
वादी में से कोई उपस्थित नहीं, अतः अदम
हाजरी। अदम पेंची में वादी का वाद खारिज
किया जाता है।
पत्रावली फेंसल कुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
कम्पेसा (अजमेर)